अतिआवश्यक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद –1
संख्याः–बीस–80–2008 दिनांकः 6/5–2010

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
(फायर सर्विस / टेलीकाम / पुलिस आवास निगम / अभियोजन / ई0ओ0डब्ल्यू0 / जी0आर0पी0 / ए0सी0ओ0 / आई0एस0बी0पी0 / पुलिस उप महानिरीक्षक – आजमगढ़, बस्ती परिक्षेत्र / पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, जनपद–बस्ती, बागपत, हरदोई, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, गाजीपुर, कानपुर नगर, सन्तरविदास नगर, उन्नाव / सेनानायक– 37, 47, 28वीं वा0, पीएसी को छोड़कर)
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः "लोक प्राधिकरण (public Authority)" द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी)के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांकः21–08–2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्र में अनुरोध किया गया था कि शासनादेश दिनांक 6–06–08 के अनुसार पुलिस विभाग की समस्त जनपदीय एवं गैर–जनपदीय शाखाओं की *अद्यावधिक सूचना संकलित मैनुअल* के रूप में *वर्ड फाइल पर हिन्दी के कृष्णा फोन्ट्स में अथवा अंग्रेजी के* **Verdana fonts** में वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सीधे पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।

3– उल्लेखनीय है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्याःटीएससी–37/2001(9) दिनांक 08–04–2010 द्वारा अवगत कराया है कि पुलिस मुख्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 21–08–2009 में संदर्भित शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत प्रावधानों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कतिपय जनपदों / इकाइयों की ही सूचना प्राप्त हुई है तथा कतिपय जनपदों / इकाइयों द्वारा अधिकारियों के नाम भी उक्त मैनुअल में दे दिये जाने के कारण इन सूचनाओं को अद्यावधिक कराया जाना आवश्यक है।

4– अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांकः 21–08–2009 के अनुसार पुलिस विभाग की समस्त जनपदीय एवं गैर–जनपदीय शाखाओं की *अद्यावधिक सूचना संकलित मैनुअल* के रूप में *वर्ड फाइल पर हिन्दी के कृष्णा फोन्ट्स में अथवा अंग्रेजी के* **Verdana fonts** में वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सीधे पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने का कष्ट करें। उक्त सूचना में अधिकारी का नाम न डालकर मात्र पदनाम ही अंकित किया जाय, ताकि अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी सूचना उपयुक्त बनी रहे।

30/4/10

(अशोक कुमार)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
नि0 पुलिस महानिरीक्षक (प्रो0 / ब0)
उत्तर प्रदेश।